न्यायालय विशेष न्यायाधीश (विधुत अधिनियम)/चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(कानपुर देहात)

पीठासीन अधिकारी– श्री अजय कुमार सिंह II (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP01536
विशेष सत्र परीक्षण सं०–1939/2017

उ०प्र०राज्य ----------अभियोजन

बनाम

अनिरूद्ध सिंह पुत्र भूरा सिंह, निवासी कुरारी, गजनेर, कानपुर देहात।

---------- अभियुक्त

धारा– 138(B) भारतीय विधुत अधिनियम
मु०अ०सं०– 495/2017
थाना – गजनेर जिला कानपुर देहात।

निर्णय

1– अभियुक्त अनिरूद्ध सिंह के विरूद्ध पुलिस थाना गजनेर जिला कानपुर देहात द्वारा मुकदमा अपराध संख्या– 495/2017 अंतर्गत धारा 138(B) भारतीय विधुत अधिनियम के अपराध में परीक्षण हेतु आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। जिसके आधार पर विचारण किया गया।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी मुकदमा मो0 इस्लाम, अवर अभियन्ता ग्रोथ सेंटर द्वारा थानाध्यक्ष गजनेर जिला कानपुर देहात को इस आशय की तहरीर दी गयी कि उच्चाधिकारियों के आदेशनुसार सेनेटाइजेशन के अभियान के अंतर्गत दिनांक 15.10.2017 का अपरान्ह 33/11 के0वी0 विधुत उपकेन्द्र ग्रोथ सेंटर के अंतर्गत ग्राम कुरारी में राजस्व वसूली एवं विधुत चोरी रोकथाम हेतु तथा पूर्व में विधुत बकाया पर विधुत विच्छेदित संयोजनों का सघन विधुत निरीक्षण द्वारा किया गया जिसमें स्वीकृत घरेलू विधुत संयोजन जो पूर्व में विधुत बकाए पर स्वयं अभियुक्त की उपस्थिति में केबल कटकर विधुत विच्छेदन किया था। विभिन्न विधा द्वारा उक्त संयोजन को स्वयं उर्जीकृत करके मौके पर समीप की एल0टी0 केबिल से कटिया द्वारा अवैध रूप से घरेलू विधुत का उपयोग करते मौके पर समय लगभग 13–00 बजे अनिरूद्ध सिंह पुत्र भूरा सिंह पाए गए। संयोजन संख्या 1253/095553 बकाया राशि 39,293/– रूपये चिटबद्ध केबिल (मीटर) लगभग

11 मीटर दो कोर काली केबिल घटनास्थल पर प्रयोगकर्ता द्वारा मौके पर विधुत बकाया राशि जमा करने का कोई प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने पर लाइन स्टाफ द्वारा सुविधानुसार केबिल काटकर मौके पर चिटबद्व किया गया। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों व ग्रामीणों से गवाही व बयान हेतु पूछने पर भलाई बुराई के भय के कारण गवाही व बयान देने से मना कर दिया। याचना की गयी कि प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए।

3– उपरोक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना गजनेर जिला कानपुर देहात में उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्व पंजीकृत किया गया। विवेचनाधिकारी के द्वारा मामले की विवेचना की गयी। मौके का नक्शा नजरी तैयार किया गया। साक्षीगण एवं अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया। तदोपरान्त अभियुक्त के विरूद्व आरोप पत्र अंतर्गत धारा 138–(b) भारतीय विधुत अधिनियम का न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4– अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया। उसके विरूद्व दिनांक 28.8.2024 को आरोप अंतगत धारा 138–1(b) भारतीय विधुत अधिनियम का विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिसे अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण की मांग की।

5– अभियोजन/विधुत विभाग की ओर से साक्षी पी0 डब्लू01 के रूप में संदीप यादव को परीक्षित किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य साक्ष्य प्रस्तत करने से इंकार करने पर साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1, नकल जी0 डी0 प्रदर्श क–2, नक्शा नजरी प्रदर्श क–3, आरोप पत्र प्रदर्श क–4 एवं अधिाशाषी अभियन्ता द्वारा प्रेषित पत्र प्रदर्श क–5 को प्रस्तुत कर साबित कराया गया है।

6– अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी साक्ष्य सुनिश्चित करने के उपरान्त पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 नियत की गयी। अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि वह निर्दोष है तथा रंजिशन मुकदमा चलाए जाने का कथन किया अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य दिए जाने से इंकार किया।

7– राज्य की ओर से विधुत विभाग के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8– अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या–1 संदीप यादव, अवर अभियन्ता को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है, ने अपने साक्ष्य में बयान दिया है कि दिनांक 15.10.2017 को अवर अभियन्ता संदीप यादव द्वारा चैकिंन के दौरान पाया कि अभियुक्त अनुरूद्व सिंह पूर्व में विच्छेदित संयोजन को पुनः अपने स्तर नजदीकी एल 0 टी0 लाइन से

जोड़कर विधुत चोरी एवं उपभोग करते हुए पाया गया था। जिसकी गजनेर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। जो संलग्न पत्रावली है। जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया। जी0 डी0 कायमी संलग्न पत्रावली है जिसपर प्रदर्श क–2 डाला गया। दौरान विवेचक विवेचक द्वारा नक्शा नजरी तैयार कर दाखिल किया गया जो संलग्न पत्रावली पत्रावली है जिसपर प्रदर्श क–3 डाला गया है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा आरोप सत्य पाते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया, जो संलग्न पत्रावली है जिसपर प्रदर्श क–4 डाला गया। अधिशाषी अभियन्ता विधुत वितरण खण्ड पुंखराया द्वारा जारी पत्र धारा 152 पत्रांक 3636 दिनांकित 8.8.2024 संलग्न पत्रावली है जिसपर प्रदर्श क–5 डाला गया।

9– अभियुक्त द्वारा साक्षी से कोई जिरह नहीं की गयी। इसके उपरान्त अभियोजन साक्ष्य समाप्त हुआ।

10– अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू01 संदीप यादव ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अभियुक्त द्वारा उसके द्वारा बकाया विधुत बिल व शमन शुल्क व विधुत बकाये का भुगतान किया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए विभाग का शमन शुल्क व विधुत बकाया बिल जमा कर दिया गया है। जिसके संबंध में विधुत विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र पत्रावली में प्रेषित किया गया है। उक्त प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा ओ 0 टी0 एस 0 रजिस्ट्रेशन राजस्व निर्धारण 9106.00 रूपये, शमन शुल्क 4000/– रूपये, बकाया 10,255+9646 रूपये जमा कर दिया गया है। जिसके संबंध में विधुत विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र पत्रावली में दाखिल किया गया है। उक्त प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

11– धारा 152 विधुत अधिनियम 2003 में यह प्राविधन किया गया है कि समुचित सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी उपभोक्ता अथवा ऐसे व्यक्ति से जिसने अधिनियम के अधीन दण्डनीय विधुत की चोरी का अपराध कारित किया है अथवा जिसपर युक्ति–युक्त ढंग से उसके कारित किए जाने का संदेह है। तालिका में दिए हुए अपराध के समाधान के रूप में धनराशि प्राप्त कर सकेगा। धारा 152(2) भारतीय विधुत अधिनिय में यह प्राविधान किया गया है कि उपधारा–1 के अनुसार धन की राशि का संदाय होने पर उस अपराध के संबंध में अभिरक्षा में कोई भी व्यक्ति मुक्त कर दिया जाएगा और किसी भी आपराधिक न्यायालय में उस उपभोक्ता के विरूद्व कोई भी कार्यवाही संस्थित अथवा जारी नहीं रखी जाएगी। धारा 152(3) विधुत अधिनियम में यह भी प्राविधन किया गया है कि समाधान करने के लिए धन की राशि की प्राप्ति धारा 300 दं0 प्र 0 सं0 के अंतर्गत दोषमुक्त मानी जाएगी

12– प्रस्तुत मामले में अभियुक्त ने विधुत विभाग के द्वारा विधुत बकाया, शमन शुल्क, जमा कर दिया है। जिसके संबध में विधुत वितरण खण्ड पुखरांया दक्षिणांचल विधुत वितरण निगम लि0 पुंखराया कानपुर देहात द्वारा निर्गत प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्व लगाए गए आरोप धरा 138–1 (b) भारतीय विधुत अधिनियम समाधान होने के आधार पर दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी है।

आदेश

13– अभियुक्त अनिरूद्व सिंह को मुकदमा अपराध संख्या 495/2017 अंतर्गत धारा 138–1(b) भारतीय विधुत अधिनियम थाना गजनेर जिला कानपुर देहात के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानतनामें एव प्रतिभू निरस्त करते हुए उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

14– धारा 437 ए दं0 प्र 0 सं0 के प्रावधान के अनुपालन में अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय के विरूद्व अपील किए जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा एवं अभियुक्त मुबलिग 20,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही समराशि के दो प्रतिभू दाखिल करें।

दिनांक – 10.7.2026

(अजय कुमार सिंह II)
आई 0 डी0 UP01536
विशेष न्यायाधीश (विधुत अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–4
कानपुर देहात

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक – 10.7.2026

(अजय कुमार सिंह II)
आई 0 डी0 UP01536
विशेष न्यायाधीश (विधुत अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–4
कानपुर देहात

Digitally signed by AJAY KUMAR SINGH
Date: 2026.08.04 10:33:36 IST
Reason: ADJ Court N0 4
Location: District and Sessions Court